

ग्रामीण सेवा शिविर-2025

क्रमांक-1
 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, राजसमन्द जिला राजसमन्द
 (पीठारीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) केम्प

-: आदेश :-

प्रार्थी के "खाता दुर्गस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी मे.ए.दु.ली.प.
 व भू.अ.नि. मे.ए.दु.ली.प. की रिपोर्ट तथा तहसीलदार रे.ल.न.ग.रा. /नायक
 तहसीलदार रे.ल.न.ग.रा. की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम
 1956 की धारा 136 के अनुसारेण में ग्राम शोपुरा तहसील रे.ल.न.ग.रा. य
 जिला राजसमन्द की जमावन्दी संवत् २०७७ में खाता संख्या ६० में
 वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि का निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल
 दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
01	शोपुरा	60	SBBJ शाब्द रे.ल.न.ग.रा.	SBI शाब्द रे.ल.न.ग.रा.

मे.ए.दु.ली.प.
 पीठारीन अधिकारी
 उपखण्ड अधिकारी
 उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, रे.ल.न.ग.रा.

दिनांक :-

3 OCT 2025

क्रमांक-164
 प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवावें।
2. प्रार्थी श्री को सूचनाार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

मे.ए.दु.ली.प.
 पीठारीन अधिकारी
 उपखण्ड अधिकारी
 उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, रे.ल.न.ग.रा.